

## प्रेस-विज्ञप्ति

### थाना जहानागंज

01 अदद रिवाल्वर 32 बोर फैक्टरी मेड व 05 अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 32 बोर व एक अदद

नाजायज चाकू व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 14.11.2020 को गुल्लू यादव s/o श्री देवनाथ यादव ग्रा0 गोडसर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ की लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय मे मु 0अ0सं0 247/20 धारा 504/506/307 भादवि बनाम 1. मानवेन्द्र सिंह पुत्र जगरनाथ सिंह. 2. विजय सिंह पुत्र स्व 0 शिवनरायन सिंह साकिनान ग्राम शाहपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ व दो बदमाश नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 14.11.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन मे व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण मे मु0अ0सं0 247/20 धारा 504/506/307 भादवि के वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में दिनांक 14.11.2020 को समय करीब 21.30 बजे अभियुक्त मानवेन्द्र सिंह पुत्र जगरनाथ सिंह ग्राम शाहपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को मन्दे बार्डर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मु0अ0सं0 247/20 धारा 504/506/307 भादवि में प्रयुक्त 01 अदद रिवाल्वर 32 बोर फैक्टरी मेड व 05 अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 32 बोर व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल न0 यूपी 50 बीके 7691 एचएफ डिलक्स व अभियुक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 248/20 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 249/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट विरुद्ध मानवेन्द्र सिंह पुत्र जगरनाथ सिंह ग्राम शाहपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

**पूछताछ विवरण:-**मानवेन्द्र सिंह पुत्र जगरनाथ सिंह ग्राम शाहपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ से पूछने पर अपने किये की बार-बार माफी मांगते हुए बता रहा है कि साहब दिनांक 13.11.20 को गोड़सर मेला मे गुल्लू यादव पुत्र देवनाथ यादव ग्राम गोड़सर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ मुझे तथा मेरे दोस्त विजय सिंह पुत्र स्व0 शिवनरायन सिंह ग्राम शाहपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ को गाली गुप्ता दिया था इसी बात को लेकर विजय सिंह अपने दो दोस्तो को बुलाया और मुझे भी बुलाया और मुझे यह रिवाल्वर दिया और कहा की गुल्लू यादव को गोली मारकर बदला लेना है यादव की जात मुझे गाली दिया है और विजय सिंह अपने तमंचा लिया और मैं विजय सिंह का दिया हुआ रिवाल्वर लेकर मोटर साइकिल संख्या यूपी 50 बीके 7691 एचएफ डिलक्स पर सवार हो गये और विजय सिंह के बुलाये दोनो दोस्त अपनी मोटर साइकिल पर सवार हो गये और हम चारो लोग गुल्लू यादव के घर पर पहुंचे और वही पर गुल्लू यादव से कहा सुनी होने लगी मैंने अपने लिये हुए रिवाल्वर से गुल्लू यादव को जान मारने हेतु फायर किया संयोग से गुल्लू यादव बच गया और गुल्लू के घर आये उसके रिस्तेदार को गोली लग गयी। गलती हो गयी अब दुबारा गलती नही करुगाँ।

### पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 247/20 धारा 504/506/307 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 248/20 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़
3. मु0अ0सं 249/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तार अभियुक्त:-

मानवेन्द्र सिंह पुत्र जगरनाथ सिंह ग्राम शाहपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0 ज्ञानू प्रिया
2. उ0नि0 विजय नरायन त्रिपाठी
3. उ0नि0 रमेश कुमार पटेल
4. का0 सुबाष यादव
5. का0 विनय यादव
6. म0का0 रागिनी सिंह
7. का0 वसीक
8. का0 दीपक सिंह